

राजभाषा प्रकोष्ठ
HINDI CELL

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय A CENTRAL UNIVERSITY)



ई-मेल : rajbhasha@dhsgsu.edu.in

दूरभाष क्र. : (07582) 297118

पत्र क्रमांक: राजभाषा/ति.बै./2026/33/5044

दिनांक: 21 अप्रैल, 2026

कार्यालय ज्ञापन/Office Memorandum

विषय: राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत द्विभाषी दस्तावेज जारी किए जाने के संबंध में।
Subject: Issuance of bilingual documents under Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963.

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत यह अनिवार्य प्रावधान है कि सामान्य आदेश, परिपत्र, संकल्प, नियम, ज्ञापन, अधिसूचनाएँ, प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संविदाएँ, करार, अनुज्ञप्तियाँ, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएँ एवं निविदा प्रारूप, नीति संबंधी दस्तावेज आदि सहित कुल 14 प्रकार के दस्तावेज हिंदी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में (द्विभाषी रूप में) जारी किए जाएँ।

यह संज्ञान में आया है कि हाल ही में विश्वविद्यालय के कुछ कार्यालयों द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित रोजगार सूचनाएँ/विज्ञप्तियाँ केवल अंग्रेजी भाषा में जारी की गईं, जो कि उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन है। इस विषय पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 52वीं बैठक में गंभीर चिंता व्यक्त की गई तथा भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति न होने देने के निर्देश प्रदान किए गए।

अतः सभी संकायाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों/अनुभागाध्यक्षों/प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि—

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से हिंदी एवं अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में जारी किए जाएँ।
2. विशेष रूप से रोजगार सूचनाएँ, प्रेस विज्ञप्तियाँ, निविदाएँ, अधिसूचनाएँ, संकल्प, आदेश आदि केवल अंग्रेजी में जारी न किए जाएँ।

यह कार्यालय ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

आदेशानुसार,

4. प्रमुख
कुलसचिव
21/4/2026

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

1. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष
2. समस्त निदेशक/समन्वयक/शाखा प्रभारी
3. प्रभारी वित्ताधिकारी/परीक्षा नियंत्रक/पुस्तकालयाध्यक्ष
4. समस्त शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण
5. प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ- वेबसाइट पर अपलोड करने के हेतु।
6. कुलपति जी के निज सचिव
7. कुलसचिव के निज सहायक
8. गार्ड फाइल

राजभाषा अधिकारी (प्र.)